समाचार एवं विचार सेवा वार्षिक सहयोग राशि 25/–

महाकौशल–संदेश

वर्षः– 17 पृष्ठः– 4 अंक :– 26 संपादक :– डॉ. किशन कछवाहा

RNI No. MPHIN/2001/11140

यह सामग्री 'प्रकाशनार्थ' प्रेषित है। कृपया अपने लोकप्रिय पत्र–पत्रिका में प्रकाशित कर Complimentaryकापी प्रेषित करने की अनुकम्पा करें।

क्या निर्भीक - निष्पक्ष पत्रकारिता का दौर समाप्त हो चला है ?

डॉ. किशन कछवाहा

संकल्पित वामपंथी पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या निश्चय ही दुःखद प्रसंग है। किसी भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति की हत्या समाज के मुँह पर एक तमाचा है, एक कलंक है लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेषकर ऐसी हत्या के मामलों को लेकर बिना विचारे और बिना किसी जॉच के किसी विचारधारा या किसी संगठन को हत्यारा सिद्ध करने का कुचक्र और भी निन्दनीय – धृणास्पद बन जाता हे। वह भी जब पत्रकार और लेखक बिरादरी के लोग जो स्वयं इस समय अविश्वसनीयता के गहरे धेरे से गुजर रहे हैं, वे कैसे विश्वास बहाली कर पायेंगे – इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार क्यों नही किया जाना चाहिए ? गौरी लंकेश के माई ने स्वयं हत्या में नक्सलियों का हाथ होने के संकेत दिये हैं। यह भी बतलाया था कि नक्सलियों से धमकियाँ भी मिल रही थी। तब इस आरोप में कितना दम ठहरता है कि गौरी लंकेश की हत्या लिखने, पढ़ने या बोलने के कारण हुयी होगी। हिन्दूनिष्ठ संगठनों पर आरोप लगाना कॉग्रेस – कम्युनिष्ट गठजोड़ की पुरानी साजिश का अंग है। इस शैली से आज सभी परिचित हो चुके हैं। भारतीयता और हिन्दुत्व तो सदा से उनके निशाने पर रहा है। गौरी लंकेश यदि वामपंथी पत्रकार थी, तो ? भाजपा विरोधी थी यह निष्पक्ष पत्रकारिता की श्रेणी तो नही है यह तो एक पक्षीय बात हुयी। मीडिया विशेषकर सोशल मीडिया में यह बात खुलकर सामने आयी है कि वे भाजपा, आर.एस.एस और राष्ट्रीय विचारधारा की घोर विरोधी थी जबकि कम्युनिष्ट विचारधारा की कट्टर पक्षघर ही रही है। यह तो एक प्रतिशत भी निष्पक्षता नही है जिसका एक मात्र उद्देश्य राष्ट्रीय विचारधारा को लॉछित करना हो – उसे क्या सराहा जाना चाहिये ? भाजपा के विरूद्ध द्वेषपूर्ण और मानहानि सम्बन्धी लेखन के लिये गौरी लंकेश को माननीय न्यायालय द्वारा छैः मास की सजा सुनायी जा चुकी थी तथा ऊपर की अदालत से उन्हे जमानत मिली हुयी थी तब प्रेस कौसिल आफ इंडिया एवं अन्य पत्रकारिता से जुड़े संस्थानों ने उस कृत्य की निन्दा करने की जहमत क्यों नही उठायी ? दूसरी ओर तात्विक बात यह है कि कर्नाटक में कॉग्रेस की सरकार है, उसकी सुरक्षा में नाकामी के लिये मुख्यमंत्री और प्रशासन को घेरा जाना चाहिये था। ऐसा नही किया जाकर राजनैतिक रोटी सेंकने के लिये मोदी सरकार पर अँगुलियॉ उठायी गयी। यह किसी ने नही कहा कि कर्नाटक सरकार की कानून – व्यवस्था ठीक नही है। इसमें पत्रकार की हत्या से उपजी पीड़ा – या दुःख तो कही नजर नही आता। चालबाजियॉ और नाकामी ही ज्यादा नजर आती है। कर्नाटक में गौरी लंकेश की ही नही, भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं अनेकानेक सरकारी अफसरों की हत्यायें हुयी है। उन पर मातम नही मनाया गया, न ही एक ऑसू बहाया गया। इस एक महिला पत्रकार की हत्या को लेकर देशभर में जो वातावरण और महौल बनाया जा रहा है वह तो साधारण समझ वाले व्यक्तियों को भी आश्चर्य मे डाल रहा है। क्या भाजपा विरोध की पत्रकार श्रेणी पत्रकारिता से अलग है ? पत्रकार तो तथ्यपरक और वस्तुपरक होता है और उसे तटस्थ रहकर खबर जनता के सामने लानी होती है और उसका विश्लेषण भी तुलानात्मक दृष्टि से निष्पक्ष ही होना चाहिये। यदि ऐसा नही हो पा रहा तो कलम की आजादी और तटस्थता पर विश्वसनीयता कैसे टिक पायेगी? यह आज का मूल प्रश्न है जिस पर गम्भीरता से ध्यान दिये जाने की जरूरत है। क्या इस तथ्य से इंकार किया जा सकता है कि पत्रकारों में एक वर्ग ऐसा भी है, जो अपने राजनैतिक और आर्थिक हितों के लिये खबरों का और अपने दबदबे का उपयोग करता है और इतना ही नही जनता को गुमराह करने से भी बाज नही आता मीडिया की निर्भीकता और निष्पक्षता दॉव पर लगी है जिसके कारण उसे मिले लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के गौरव पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है। कई बार तो ऐसा अनुभव होता है कि मीडिया देश के बहुसंख्यक समाज का विरोधी है। उसे केरल,बंगाल या अन्य प्रदेशों में हिन्दुओं पर हों रहे अत्याचार नजर क्यों नही आते? इसके उलट एक व्यक्ति की हत्या बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। मीडिया का यह पक्षपातपूर्ण रवैया चिन्ता जनक है, वर्ष 2005 से लेकर आजतक 787 पत्रकारों की हत्यायें हो चुकी हैं। वे सभी पत्रकार नक्सल समर्थक और वामपंथी विचारधारा के समर्थक भी नही रहे होंगे। ये पत्रकार थे – इनके शोक में कितने ऑस् बहाये गये, कितने नारे लगाये गये ? क्या वे ऊपना पत्रकारिता का धर्म निर्वाह नही कर रहे थे ? इस स्थिति में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या का विरोध एकतरफा है – पत्रकार तो पत्रकार होता है। ये सभी पत्रकार उतने ही सम्मान और वैसी ही सहानुभूति पाने के हकदार थे जितनी प्रिय और महत्वपूर्ण लंकेश गौरी रही होगी । सभी उसी श्रद्धांजलि के पात्र रहे है। हत्यारे तो हत्यारे है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिये। जहॉ तक वामपंथी विचारधारा का सवाल है उसका प्रारंभ से ही इतिहास रक्तरंजित ही रहा है। देश के बाहर की बात न भी करें तो केरल में लालआतंक का लंबा इतिहास है। इस दलका लोकतंत्र पर विश्वास है ही नहीं। विश्व इतिहास, साक्षी है जहॉ भी कम्युनिष्ट शासन रहा है, वहॉ–वहॉ विरोधी विचारधारा को कुचल डालने के लिये खून की होली खेली गयी है। इनके हो हल्ला मचाने की प्रकृत्ति का उद्देश्य कुछ और होता है। गौरी लंकेश की हत्या पर दुःख व्यक्त करने का काम कम लेकिन निशाना कही और साधा जा रहा है। अब लोग इतने ना समझ नही है कि बात को न समझ सकें। कर्नाटक में आये दिन हो रही राजनीतिक हत्याओं पर ऑख मूँद लेने वाले मीडिया के इन तथा कथित झंडावरदारों ने एक महिला पत्रकार की हत्या के मामले को भुनाने के लिये जमीन आसमान क्यों एक कर दिया ? इतना ही नही पहले से सुनिश्चित कार्यक्रम के अनुसार हिन्दुनिष्ठ संगठनों पर आरोप जड़ना इनकी पुरानी शैली का ही कारनामा है इसमें नया कुछ नहीं। गत वर्षो में मीडिया के इन झंडावरदारों के चेहरे का निष्पक्षता वाला मुखौटा लोगों के सामने आ चुका है। इनकी कलई खुल चुकी है। इनकी छटपटाहट, बैचेनी को समझा जा सकता है।

रोहिंग्या मुसलमान देश के लिये बड़ा खतरा

म्यॉमार रोहिंग्याओं को बॉग्लादेशी घुसपैठिये मानता है। इधर भारत का सेकुलर खेमा बोट बैंक के लिये फिक्र करने वालों की भूमिका में है। वर्तमान में ये अवैध शरणार्थी है' और इनकी संख्या 80,000 से लेकर एक लाख तक है जो चार–पॉच प्रान्तों तक फैल चुके हैं। इनके स्थानीय लोगों के साथ विवाद होने के समाचार भी मिलते रहते हैं। ये रोहिंग्या मुसलमान तेलंगाना, हरियाणा, उत्तरप्रदेश में बड़ी संख्या में है। दिल्ली में इनकी एक कालोनी बनी हुयी है। सन् 71 में बॉग्लादेश बनने के समय बड़ी संख्या में घुसपैठिये भारत आ गये थे। सन् 80 में असम आन्दोलन हुआ। असम के लोगों को लगा कि इनकी उपस्थिति के परिणाम स्वरूप उनकी संस्कृति और अस्मिता खतरे में है। उनमें इस प्रकार का भय और आशंका आज भी बनी हुयी है। जम्मू कश्मीर में इनकों निकालने के लिये विश्व हिन्दू परिषद् और कश्मीर नेशनल पेन्थर्स पार्टी आन्दोलन कर रही है। अकेले जम्मू – कश्मीर में इनकी आबादी चौदह हजार से भी अधिक हो चुकी है। यह अत्यंत गंभीर सवाल है जिस पर तत्कालीन सप्रसंग सरकार ने ध्यान नही दिया। भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी रोहिंग्या मुसलमानों की यह समस्या बेहद खतरनाक है। ये गम्भीर षड़यंत्र है। इनका एक देश से पलायन होता है– ये नूँह – मेवात तक म्यॉमार से पहुँचते है हैदराबाद पहुँच जाते है, जम्मू–कश्मीर तक पहुँच गये, दिल्ली में एक कालोनी बन गयी–यह अनायास नहीं, योजनाबद्ध है, बिना किसी संरक्षण या मदद के यह संभव नही है। हिंसाग्रस्त घाटी के पास के इलाकों का ही चयन क्यों किया गया ? म्यॉमार के रखाईन प्रान्त से बॉग्लादेश आना, फिर बॉग्लादेश की सीमा पार कर भारत में घुसना और भारत के खास–खास इलाकों को बसने के लिये चुना जाना –यह गंभीर सवाल है जिसे भारत की सुरक्षा के मद्देनजर ध्यान दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस तथ्य को भी समझ लिया जाना चाहिये कि कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा, लश्कर–ए–तायबा और जैसे ए मोहम्मद के अतिरिक्त तमाम मुस्लिम समर्थक ताकतें रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को इस्लाम पर हो रहे हमले के रूप में दुनिया भर में पेश कर रहे है। यदि यह मुस्लिम समुदाय पर हमला है तो ये गैर मुस्लिम देश में क्यों घुस रहे है ? जहॉ सुरक्षा मिलती उन मुस्लिम देश में जाना चाहिये था ? इनका बौद्धों से पुराना बैर रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों की बौद्धों के प्रति आक्रमकता बड़ी वजह है। भारत के लिए तो यह इसलिये भी चिन्ता का विषय है कि इस समुदाय के साथ पाकिस्तान खुफिया एजेंसी अपनी पैठ बना चुकी है। पिछले दो वर्षो में भारत में इनके घुस आने के कारण इनकी तादाद में तंजी से वृद्धि हुयी है। भारत में रह रहे इन रोहिंग्याओं की पहचान का काम भी सरल नही है। इनमें से अनेकों के पास मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड तक है। कुछ तो आधार कार्ड बनवाने में भी सफल हो चुके है। दिल्ली के कुछ मुस्लिम नेता रोहिंग्या मुसलमानों के पक्ष में खड़े है। उस समय भी ऐसे ही सेकुलर नेताओं ने बॉग्लादेशी घुस पैठियों को भारत में बसाया था। प्रश्न यही है कि वैघ शरणार्थी और अवैध घुस पैठियों में आज नही तो कल अंतर तो करना ही पड़ेगा। सेकुलर राजनीति की सुविधा के लिये देश को खतरे में नही डाला जा सकता। लोकतंत्र और उदार मूल्यों के कारण भारत ने पूर्व में गहरे से गहरे धाव झेले है। बर्बर चोटों से हजारों साल की गुलामी हाथ लग चुकी है। जो इनकी वकालत कर रहे है और भारत की उदारता की आज दुहाई दे रहें है, उनकों क्या यह मालूम नही है कि म्यॉमार में अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी ने पुलिस और सेना के कितने लोगों की जाने ले ली है। इन खूँखार रोहिंग्याओं को विदेश में प्रशिक्षित किया गया है जिनके सम्बन्ध पाकिस्तान और सऊदी अरब से भी है। क्या इस तथ्य को भी नजर अंदाज कर दिया जा सकता है कि अफगानिस्तान भी तो कभी बौद्ध बहुल था म्यॉमार की तरह। यदि हम अतीत से सबके नही लेते तो हमारी नादानी ही सिद्ध होगी। किसी अन्य देश से भारी संख्या में लोगों का आगमन दो तरह से हानि कारक सिद्ध होता है, पहला यह कि समाज पर एक अतिरिक्त दबाव बनता है। दूसरा देश की सुरक्षा के हिसाब से खतरनाक सिद्ध होता है। सन् 2013 का ही उदाहरण ले बोध गया में आतंकी हमले का कारण सिर्फ यह था कि ये आतंकी रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ म्यॉमार की सैनिक कार्यवाही का बदला यहॉ के बौद्धों से लेकर सबक सिखाना चाहते थे। इस तरह के खतरों को, रोहिंग्या मुसलमानों के उत्पात का अवसर ही हम क्यों दें? रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों से हाफिज सईद के संगठन जमात–उद–दावा के संपर्क की बातें यदा–कदा सामने आती रही है। वर्तमान हालात क्या कम चिन्ता जनक है जो नया बबाल और मोल ले लिया जाय, दयालुता के नाम पर। बंगाल के बशीर हाट में छोटी सी बात पर हुआ दंगा तो यही सबक दे रहा है कि कैसे राज्य में कट्टर पंथियों का मनोबल बढ़ा हुआ है ? क्या यह भी तुष्टीकरण का नतीजा नही है ? कश्मीर की तरह बंगाल में भी मुसलमानों का कट्टरपंथी रूख बढ़ता जा रहा है जिसके कारण राज्य के हालात बद से बदतर हो चुके है। लोगों को हिन्दू – मुसलमान में बॉटकर राजनीति की जा रही है। बंगाल और केरल के हालात ऐसे ही है। केरल में कम्युनिष्ट गुंडे संघ के कार्यकर्त्ताओं पर हिन्दुओं पर अत्याचार कर पा रहे हैं।। मजहवी उन्माद चरम पर है।

— डॉ. किशन कछवाहा

छात्र विक्रान्त की निर्मम हत्या एक कचोटता प्रश्न

बेखौफ अपराधियों ने जबलपुर सदर क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले इलाके में उन्नीस वर्षीय छात्र विक्रान्त की बेरहमी के साथ हत्या कर दी। भीड़ तमाशबीन बनी रही। यह क्षेत्र था। विरमानी पेट्रोल पम्प के पास का। कानून और पुलिस प्रशासन के लिये ऐसी हत्यायें कलंक है। अपराधी न तो कानून से डरता है न प्रशासन की उसे चिन्ता है। आम आदमी गवाही देने के लिये आगे आने का साहस भी बटोर नही पाता क्योंकि अपराधी आदतन होते है। आम आदमी उनसे जूझने, पुलिसिया, कार्यवाही की जटिलता अदालतों तक की आवाजाही से होने वाली परेशानियों को झेलना नही चाहता। गवाह की स्थिति तो और भी दयनीय हो जाती है जब समयपर न पहुँचने पर गिरफ्तारी वारंट तक तामिल कर दिये जाते है। उसे भी तरह तरह के पुलिस और अदालती तिरस्कारों के चलते उसी कटघरे मे खड़ा होना पड़ता है जिसमें उपराधी खड़े होते है। ७० साल की आजादी के बाद भी इस प्रक्रिया में तब्दीली क्यो नही लायी जा सकी ? ताकि गवाहों कुछ तो सम्मान जनक तरीके देखा जा सकता। यही कारण है कि वारदातों के प्रत्यक्ष दर्शी भी नजर बचाकर किनारा का लेने में ही अपनी भलमन साहत् समझ लेते है और अपराधी गवाहों के अभाव में छूट जाते है।

भविष्य की संस्कृति-वैज्ञानिक धर्म की संस्कृति

सही रूप उभरेगा उसदिन मानव के उत्थान का। जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का।।

मनुष्य जीवन में धर्म और विज्ञान, इन दोनों की आवश्यकता है। इन दोनों के बिना जीवन–पथ पर सही ढंग से अग्रगमन संभव नहीं है। इन दोनों का स्वरूप भिन्न है, कार्यशैली भिन्न है, लेकिन इन दोनों का मिलन उस लॅगड़े व अंधे व्यक्ति की तरह है, जो एकाकी होने पर कुछ नहीं कर सकते और साथ मिलकर रहने पर कितनी भी दूरी का सफर तय कर सकते हैं। विज्ञान ज्ञान की वह पद्धति है, जो पदार्थ में छिपी हुई अंतस् शक्ति को खोजती है। वहीं धर्म, ज्ञान की वह पद्धति है, जो चेतना के भीतर छिपी हुई अंतस् शक्ति को खोजती है। देखा जाए तो धर्म और विज्ञान का कोई विरोध नहीं है, ये दोनों एकदूसरे के पूरक है। उदाहरण के लिए जो युग मात्र वैज्ञानिक होगा, उसके पास सुविधाएँ तो बढ़ जाएँगी, लेकिन सुख नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से जो युग मात्र धार्मिक होगा, उसके कुछ थोड़े–से लोगों को सुख तो उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन अधिकतर लोग अभावग्रस्त हो जाएँगे। विज्ञान सुविधा देता है तो धर्म शांति देता है। विश्वपटल पर पूर्व ने जिस संस्कृति को जन्म दिया था, वह संस्कृति विशुद्ध रूप से धर्म पर खड़ी थी। लेकिन पश्चिम ने जो संस्कृति पैदा की, उसकी बुनियाद उसने विज्ञान पर रखी, पर उसका धर्म से कोई संबंध नही रखा। परिणामस्वरूप पश्चिम ने भौतिक विकास किया, उसने धन,समुद्धि, सुविधाएँ इकट्ठी कीं, लेकिन अपनी अंतरात्मा को खो दिया, इसीलिए वह आज विकल नजर आता है। भाविष्य में जों संस्कृति पैदा होगी, अगर वह मनुष्य के हित के लिए है, तो उसमें धर्म और विज्ञान का संतुलन होना जरूरी है। वह संस्कुति सिर्फ वैज्ञानिक या सिर्फ धार्मिक नहीं हो सकती। वह संस्कृति वैज्ञानिक रूप से धार्मिक होनी चाहिए या धार्मिक रूप से वैज्ञानिक होनी चाहिए। देखा जाए तो धर्म और विज्ञान का परस्पर कोई विरोध नहीं है, जैसे शरीर और आत्मा का आपस में कोई विरोध नहीं है। ये अपने–अपने स्तर पर कार्य करते हैं। लेकिन जो मनुष्य केवल शरी की सुविधाओं का ध्यान रखता है, वह अपने आत्मिक विकास को प्राप्त नहीं हो पाता है और इसके विपरीत जो मनुष्य मात्र आंतरिक विकास की सोचता है, वह शरीर की सुविधाओं को भुला–सा बैठता है जबकि आवश्यकता दोनों के माध्य सम्यक संतुलन की है। जिस तरह मनुष्य का जीवन शरीर और आत्मा के बीच एक संतुलन और संयोग है, उसी तरह से आने वाली संस्कृति, विज्ञान और धर्म के बीच संतुलन व संतुलन व संयोग से युक्त होनी चाहिए। विज्ञान उसका शरीर होना चाहिए और धर्म उसकी आत्मा। इस संदर्भ में एक लघुकथा बड़ी प्रेरक है। एक बार यूनान का एक बादशाह बीमार पड़ा। हकीमों ने कहा कि अब वह नहीं बच सकेगा। उसके मंत्री और उससे प्रेम करने वाले बहुत चिंतित हुए। तभी वहॉ उसके राज्य में एक फकीर आया और किसी ने कहा कि लोग कहते हैं कि वह फकीर कोई भी बीमारी ठीक कर देता हे। फकीर को बुलाया गया। उसने आते ही उस बादशाह से कहा –''पागल हो ? यह कोई बीमारी है ? इसका तो बड़ा सरल इलाज है। '' बादशाह ने कहा–''कौन–सा इलाज ? हमें तो बचने की कोई आशा नहीं लग रही है।'' फकीर ने कहा– '' आपके राज्य से किसी शांत और समृद्ध व्यक्ति का कुरता लाकर इन्हें पहना दिया जाए। ये ठीक हो जाएँगे।'' सेनापति व मंत्री भागे, राज्य में बहुत सारे समृद्ध लोग थे। उन्होंने एक–एक के घर जाकर कहा कि हमें, जब वो एक शांत और समृद्ध आदमी का कुरता पहनेंगे। उन समृद्ध लोगों ने उत्तर में कहा–''बादशाह बच जाएँ तो हम प्राण भी दे सकते हैं, हम समृद्ध तो है, लेकिन शांत नहीं हैं।''सुबह के समय बादशाह के लोगों ने सोचा था कि दवा मिलनी बहु आसान हैं, लेकिन दिन बीत जाने पर उन्हें पता चला कि दवा बहुत मुश्किल है, इसका मिलना संभव नहीं है। साँझ को वे बाहर नदी के पास एक आदमी बड़ी शांति के साथ बाँसुरी पर सुरीली धुन बजा रहा था। वजीरों में से एक ने कहा–''हम अंतिम रूप से इस आदमी से और पूछ लें, शायद इसके पास शांति हो।'' वे उसके पास गए। उन्होंने उससे पूछा–''तुम्हारी बाँसुरी के सुरों में इतनी शांति और आनंद है। हमें तुम्हारे जैसे आदमी के कुरते की जरूरत है, जो शांत भी हो और समृद्ध भी। ''वह आदमी नाम मात्र के कपड़े पहने हुए था। उन्हें समझ में आ गया कि शांत होने के लिए समृद्धि की आवश्यकता नहीं होती। लौटने पर जब वजीरों ने यह बात बादशाह को बताई तो उसे फकीर द्वारा कराए गए प्रयोग का मर्म समझ में आ गया। उसके मन की उदासी चली गई और वह अंदर से प्रसन्न हो गया। यह दुनिया भी तब ही सही दिशा में चल सकेगी, जब हम शांति और समृद्धि के मध्य सामंजस्य बिठा सकेंगे। हमारी समस्या यह है कि हमने मनुष्य के विषय में अधुरे ढंग से सोचा है और हमारी आदतें अति पर चले जाने की हैं। मनुष्य के मन की सबसे बड़ी बीमारी अति है। थोड़ी–सी चीज से उसे संतोष नहीं होता। उसे बहुत चाहिए और यह स्थिति उसे अति तक पहुँचा देती है। यह एक नासमझी ही है कि कोई व्यक्ति अपने को शरीर ही समझ ले और दूसरी नासमझी यह है कि कोई व्यक्ति अपने को केवल आत्मा समझ ले। मनुष्य का व्यक्तित्व एक संयोग है–शरीर और आत्मा का। शरीर नहीं है, तो आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं, इसी तरह से आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। ठीक इसी तरह संस्कृति में भी जब धर्म और विज्ञान का संयोग होगा, तभी उसका भविष्य उज्ज्वल होगा। हालाँकि धर्म और विज्ञान के संयोग में धर्म केंन्द्र पर होगा और विज्ञान उसकी परिधि पर। यह स्पष्ट है कि विज्ञान और धर्म के मेल में धर्म विवेक होगा और विज्ञान उसका अनुचर। जिस तरह शरीर मालिक नहीं हो सकता, उसी तरह विज्ञान भी मालिक नहीं हो सकता, मालिक तो धर्म ही होगा, तभी हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकेंगे। वास्तव में इस वैज्ञानिक युग में धर्म की ही आवश्यकता है, क्योंकि विज्ञान जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उससे लाभ और हानि दोनों हैं, कई तरह के खतरे भी हैं, जो मनुष्य जाति का विध्वंस कर सकते हैं और विज्ञान की परिधि की सीमा रेखा में बाँधने का काम करता है, धर्म। धर्म सही मार्ग दिखाता है। विज्ञान अंधाधुंध अपने प्रयोग किए जा रहा हैः जबकि धर्म की आँखें हैं, लेकिन वह लँगड़ा है, उसे चलने के लिए विज्ञान के सुदृढ़ कंधों की आवश्यकता है। दोनों के मिलन से ही मनुष्य जीवन को भावी खतरों से बचाया जा सकता है।

एक जिज्ञासु ने किसी ज्ञानी व्यक्ति से पूछा–''जीवन को अलंकृत करने वाले देवता कौन से हैं ?''उत्तर मिला–''हृदय और जीभ।'' दूसरा प्रश्न था–''जीवन को नष्ट करने वाले दो दैत्य कौन से हैं ?'' उत्तर मिला–''हृदय और जीभ।''. वास्तव में हृदय की निष्ठुरता और सहृदयता ही व्यक्ति को पतित और महान बनाती है। जीभ के असंयम से मनुष्य स्वास्थ्य और सहयोग खो बैठता है।मधुर और उपयुक्त संभाषण से श्रेय और स्नेह की भरपूर मात्रा हस्तगत होती है।

आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में नारी शक्ति

—आकांक्षा यादव

नारी शशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि उसकी आर्थिक स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की जाये। आर्थिक सशक्तिकरण न सिर्फ नारी स्वातंत्र्य को समृद्ध करत है बल्कि घर से लेकर कार्य क्षेत्र तक निर्णय प्रक्रिया में भी महिलाओं की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करता है। देश की आधी आबादी होने के बावजूद अभी भी महिलाएँ रोजगार के क्षेत्र में कम ही हैं। आजादी के इतने साल बाद भी महिलाएँ अपने फैसले खुद नही ले पातीं। परिवारों में भी उन्हें बड़े फैसले लेने की आजादी नहीं है। खासकर, आर्थिक मामलों में उनकी बात को तवज्जों नहीं दी जाती। इसके लिए शिक्षा के मौजूदा स्वरूप को बदलना होगा। यह अनायास नहीं है कि स्कूली पाठयक्रम की पुस्तकों में महिलाओं को घर के काम करते और पुरूषों को बाहर के काम करते दिखाया जाता है। अतः स्कूली स्तर से ही इस लिंग–विभेद को खत्म करना होगा और परिवार के सामाजिकीकरण को बदलना होगा। आखिर, महिलाएँ भी शिक्षित होकर अपना कैरियर बना रही हैं और उच्च सेवाओं में जा रही हैं। शिक्षा के चलते नारी जागरूक हुई और इस जागरूकता ने नारी के कार्यक्षेत्र की सीमा को घर की चहारदीवारी से बाहर की दुनिया तक फैला दिया। शिक्षा के बढ़ते प्रभाव के चलते आज नारी भी अपने कैरियर के प्रति संजीदा है। इससे जहाँ नारी अपने पैरों पर खड़ी हो सकी वही आर्थिक आत्मनिर्भरता ने उसे रचनात्मक कार्यो हेतु भी प्रेरित किया। पुरूषवादी दृष्टिकोण से कुछेक लोगों को ऐसा लगता है कि इससे परिवार का मैनेजमेन्ट बिगड़ जायेगा, पर वे यह भूल जाते है कि हर महिला में एक अच्छा मैनेजर छिपा रहता है। तभी तो महिलाएँ एक साथ घर के काम करने के साथ बच्चों का पालन–पोषण करते हुए अपने कैरियर में भी नयी ऊँचाइयाँ चढ़ती हैं। भूमंडलीकरण और उदारीकृत अर्थव्यवस्था के बीच संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी की नित नयी तकनीकों के बीच जहाँ देशों की भौतिक सीमाओं का महत्त्व नहीं रहा, वहाँ महिलाओं की प्रतिभा को घर की चहारदीवारियों के बीच कैद करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वर्तमान परिवेश में विकास की वह हर परिभाषा अधूरी है जो महिला और पुरूष में मात्र उनके दैहिक विभेद के कारण असमानता का व्यवहार करती हो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मार्च 2015 में जारी एक रिपोर्ट पर गौर करें तो महिला–पुरूष का विभेद कड़वी सच्चाई की तरह उजागर हो जाता है इसके अनुसार तमाम उपायों के बावजूद अभी भी महिलाओं को पुरूषों के बराबर वेतन नहीं मिलता है। दोनों के वेतन में भरी अंतर है। महिलाओं को पुरूषों के बराबर वेतन पाने में अभी और 71 वर्षो का इंतजार करना होगा। पुरूष जितना कमाते हैं उसका 77 प्रतिशत ही महिलाएँ अर्जित कर पाती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के होने से कंपनी के कार्यस्थल का माहौल ज्यादा बेहतर होता है। उनके प्रबंधन का तरीका पुरूषों से एकदम जुदा होता है। इससे कई नये विचार आते है। नए नजरिये से सेचने की वजह से हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। गौरतलब है कि टाटा समूह के पास इस समया टाटा स्टारबक्स लिमिटेड की सीईओ अवनी दावदा, टाटा कॉफी की चीफ मेडिकल ऑफिसर कावेरी नेंबिसन और लैंडरोवर की प्लांट ऑपरेशन डायरेक्टर मार्गरेट कैंपबेल जैसी कई काबिल महिलाएँ है। वस्तुतः महिला–पुरूष समानता सिर्फ एक सामाजिक आवश्यकता ही नहीं है बल्कि रोजगार में महिलाओं को समानता देकर भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी कर सकता हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टिन लिगार्ड ने सितंबर 2015 में महिला सशक्तिकरण पर आयोजित जी–20 देशों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में कहा कि हमारे अनुमान के मुताबिक यदि कामकाजी महिलाओं की संख्या कामकाजी पुरूषों के बराबर हो जाये तो अमेरिका का जीडीपी 5 प्रतिशत, जापान, का 9 प्रतिशत और भारत का 27 प्रतिशत बढ़ सकता है। उन्होने कहा कि सुरक्षित और अच्छी आमदनी वाले रोजगारों में महिलाओं की संख्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी होगी। इससे आय की असमानता कम करने और लिंग भेद खत्म करने में भी मदद मिलेगी। खाद्य एवं कृषि संगठन के एक अध्ययन का हवाला देते हुए उन्होने कहा कि नारी सशक्तिकरण गरीबी कम करने में भी सहायक होगी। इसके अनुसार कृषि कार्यो में महिलाओं को पुरूषों के बराबर पहुँचा देने से विकासशील देशों के कृषि उत्पादन में चार प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है और इससे लगभग 10 करोड़ लोगों को भुखमरी से बाहर निकाला जा सकता है। महिलाओं की जिंदगी में तीन प्रमुख पड़ावों पर उन्हें प्रोत्साहित कर उनका सशक्तिकरण सम्भव है– शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराकर, रोजगार में पुरूषों के बराबर स्थान देकर और परिवार के स्तर पर समर्थन देकर। आज के समय में महिलाएं सिर्फ एक गृहिणी न रहकर एक कामकाजी महिला की भूमिका भी निभा रही हैं। कुछ महिलाएँ तो ऐसी हैं जो न केवल भारतीय, बल्कि विदेशी कंपनियों तक में सी.ई.ओ के पद पर पहुँच गयी है। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों और प्रतिरोधों के बावजूद आज कॉरपोरेट जगत में भी महिलाएँ प्रभावी भूमिका निभा रही है। बैंकिंग, हॉस्पिटेलिटी, फूड एंड बेवरेजेज, फार्मा और इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर जैसे तमाम क्षेत्रों में ये महिलाएं अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये महिलाएँ बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल बनकर भी उभरी है। कॉरपोरेट जगत से लेकर बैंकिंग जगत तक तमाम महिलाएँ अपनी प्रभावी उपस्थिति से नित नये आयाम रच रही हैं। एक दौर था कि इन क्षेत्रो में शीर्ष पदों पर महिलाएं बमुश्किल ही दिखती थीं किन्तु वक्त के साथ अब तमाम बदलाव आये है। गौरतलब है कि भारत के सात नेशनल बैंकों की कमान इस समय महिलाओं के हाथ में है। भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक इंडिया की चौबीसवीं चेयरपर्सन अंरूधती भट्टाचार्य इसके दो सौ से ज्यादा वर्षो के इतिहास में पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने इस पद को सँभाला। अरूंधती भट्टाचार्य ने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में चेयरपर्सन के पद पर भी कार्य किया है तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। ऊषा अनंथसुब्रमण्यम भारतीय महिला बैंक की पहली चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रहीं, जो नवंबर 2013 में सिर्फ महिलाओं के लिए आरम्भ हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा से अपने कैरियर की शुरूआत करने वाली ऊषा पंजाब नेशनल बैंक की एक्जिक्युटिव डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। फॉर्चयून मैगजीन द्वारा भारत की सबसे पावरफुल बिजनेस वुमन एवं एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम द्वारा वुमेन ऑफ पावर जैसे तमाम सम्मानों से नवाजी गयी चंदा पावर आईसीआईसीआई बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और सी.ई.ओ हैं। बैंकिंग सेक्टर में अपनी सेवा के लिए उन्हें सरकार द्वारा पद्मभूषण भी सम्मानित किया जा चुका है। आईसीआईसीआई बैंक से अपने कैरियर की शुरूआत करने वाली शिखा शर्मा एक्सिस बैंक की सी.ई.ओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। टाइम मैगजीन द्वारा टॉप 100 पावरफुल महिलाओं में शामिल है।